



भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
पोत परिवहन मंत्रालय / MINISTRY OF SHIPPING

नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING, MUMBAI

फा. सं. 7 - नॉटिकल (36)98-खंड-II

दिनांक: 27.07.2020

नॉटिकल परीक्षा परिपत्र सं. 01/2020

विषय: कोविड - 19 महामारी के कारण नॉटिकल शास्त्र परीक्षा कार्य की वैधता की अवधि बढ़ाने के संबंध में।

1. निदेशालय ने दिनांक 06.05.2005 के नॉटिकल अनुभाग परिपत्र संख्या 05/2005 जारी किया गया जो नॉटिकल शास्त्र एसटीसीडब्ल्यू सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने की वैधता की अवधि, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के दिनांक से 5 वर्ष तक निर्दिष्ट किया गया।
2. कोविड -19 वैश्विक महामारी के कारण निदेशालय ने दिनांक 16.03.2020 के नौमनि आदेश संख्या 02/2020 के माध्यम से दिनांक 24.03.2020 से सभी सक्षमता परीक्षा के आयोजन को स्थगित किया गया है।
3. यह सुनिश्चित करें कि जो उम्मीदवार सक्षमता परीक्षा के कुछ कार्यों में उत्तीर्ण हए हैं, उनके लिए परीक्षा न आयोजित करने का कारण उन उम्मीदवारों के लिए 5 साल की निर्दिष्ट वैधता अवधि के भीतर, परीक्षा परी करने में कठिनाई न हो इसलिए कोविड महामारी के कारण यह निर्णय लिया गया है कि जिस अवधि के दौरान सक्षमता परीक्षा आयोजित नहीं की गई उसे नॉटिकल शास्त्र सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण कार्य को 5 साल की वैधता में समावेश नहीं किया जाएगा।
4. इसे Master & Mates के मुख्य परीक्षक व भारत सरकार के नॉटिकल सलाहकार (प्रभारी) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कप्तान जी.पी. शेर्नॉय
नॉटिकल सर्वेक्षक व उप नौवहन महानिदेशक (तकनीकी)